स्मरण–पत्र

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुडा भवन, भोपाल–462004
Email- heplan@mp.gov.in

क्रमांक 745/175–176/आउशि/योजना/2021 भोपाल, दिनांक - 08/09/2021

प्रति,

समस्त
अतिरिक्त संचालक,
भोपाल–नर्मदापुरम,इन्दौर,उज्जैन,जबलपुर,सागर,ग्वालियर,रीवा संभाग
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।

विषय :–वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आदर्श प्रयोगशाला उन्नयन (5765) एवं पुस्तकालय विकास (5550) हेतु आवंटित राशि के उपयोगिता–प्रमाण पत्र एकजाई कर उपलब्ध कराने बावत् ।

संदर्भ:–1. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 528/176/आउशि/यो/2021 दिनांक 29.06.2021
2. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 536/175/आउशि/यो/2021, दिनांक 01,07,2021
3. कार्यालयीन आदेश क्रमांक 690/175/आउशि/यो/2021 दिनांक 17.08.2021

––00––

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करना चाहेंगे। विषयान्तर्गत आपके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले शासकीय महाविद्यालयों को **वित्तीय वर्ष 2021–22** के लिए आदर्श प्रयोगशाला उन्नयन (5765) एवं पुस्तकालय विकास (5550) अन्तर्गत आवंटन जारी किया गया है, जारी आवंटन में उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजने के स्पष्ट निर्देश हैं, परन्तु संबंधित महाविद्यालयों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि –

- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों से प्राप्त प्रेषित प्रस्ताव पर समिति द्वारा परीक्षण कर महाविद्यालय की आवश्यकता एवं छात्रहित में राशि आवंटित की गई है। आवंटित राशि का समय–सीमा में शत–प्रतिशत मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 एवं शासन के समय–समय अद्यतन आदेशों की शर्तो का कड़ाई से पालन करते हुए क्रय एवं आहरण करना सुनिश्चित करावें
- तथा विभागीय परीक्षण समिति द्वारा अनुशंसित की गई ही सामग्री/उपकरण का क्रय करने का कार्यवाही सुनिर्श्चित करें।
- यदि महाविद्यालय आवंटित राशि का उपयोग करने में असमर्थ है तो तत्काल विभाग के बीसीओ कोड में सकारण आवंटित राशि समर्पित कर इस कार्यालय को अवतगत करावें।
- वित्तीय वर्ष के अंतिम त्रैमास में समर्पित की जाती है एवं राशि लैप्स की जाती है, तो यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।
- महाविद्यालय द्वारा आवंटित राशि का उपयोग न करने की स्थिति में आगामी आवंटन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 (त्रैमास) समाप्ति की ओर है, अतः उपरोक्तानुसार आदर्श प्रयोगशाला उन्नयन एवं पुस्तकालय विकास योजनाओं में आवंटित राशि का आहरण, उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा उपयोग की गई राशि का **उपयोगिता–प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही एक पीडीएफ फाईल** बनाकर संभागवार एकजाई कर अनिवार्य रूप से दिनांक 10.09.2021 तक अनिवार्य रूप से योजना शाखा के ई–मेल पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(चन्द्रशेखर वालिम्बे)
आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

निरन्तर.........

निरन्तर

क्रमांक 746/175–176/आउशि/योजना/2021 भोपाल, दिनांक- 08/09/2021

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अवगतार्थ प्रेषित ।
2. संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त संचालक (वित्त) कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी आडिट शाखा, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी आईटी सेल, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर कृपया विभागीय बेवसाईट पर प्रदर्शित हेतु प्रेषित।

08/9/2021

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (एमआरएस)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

शासकीय महाविद्यालय का नाम ....

E-Mail ID ....

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ....

1. सत्र......................... में शासकीय आदेश क्रमांक ....दिनांक................. योजना क्रमांक ....मांग संख्या.......................में राशि रू. .... शासकीय महाविद्यालय ....को आदर्श प्रयोगशाला उन्नयन (5765)/पुस्तकालय विकास (5550) ....हेतु स्वीकृत की गई है।
2. राशि रू. .... का मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 के तहत राशि उपयोग.......................प्रतिशत है।
3. क्रय किये गये समस्त उपकरणों को स्टाक रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है एवं इन उपकरणों का उपयोग विद्यार्थी हित के लिये सुनिश्चित किया गया ।
4. क्रय सामग्री महाविद्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा गठित विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित सामग्री ही क्रय की गई है।

मेरे संज्ञान में उपरोक्त जानकारी सही एवं सत्य है।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर एवं सील

प्राचार्य